D.S

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक–प2(23)नविवि/पाली/2018

जयपुर, दिनांक 01 SEP 2022

अधिसूचना

राजस्व ग्राम पाली चक द्वितीय के खसरा संख्या 629 व 630 रकबा 249.12 बीघा भूमि, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ. 6(०)राज–6/96 पार्ट/39 जयपुर, दिनांक 08.12.20210 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 05.04.2018 के द्वारा निर्धारित शर्तों पर नगर परिषद, पाली को हस्तान्तरित की गई थी। उक्त भूमि को नगरीय विकास विभाग के अ0शा0 पत्रांक प2(23)नविवि/पाली/2018 जयपुर दिनांक 11.06.2018 के द्वारा नगर परिषद, पाली से नगर विकास न्यास, पाली को हस्तान्तरित करने के निर्देशों के उपरान्त जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 21.06.2018 के द्वारा नगर परिषद, पाली को किये गये हस्तान्तरण को निरस्त किया जाकर भूमि को नगर विकास न्यास, पाली को निर्धारित शर्तों के साथ हस्तान्तरण के आदेश जारी किये गये।

चूंकि स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक भूमि/एफ.7(ड)()डीएलबी/2020/1175 दिनांक 13.03.2020 के क्रम में उक्त भूमि पुनः नगर परिषद, पाली को स्थानान्तरित की जानी है। अतः राज्य सरकार राजस्थान द्वारा नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 43(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खसरा संख्या 629 व 630 रकबा 249.12 बीघा भूमि नगर परिषद, पाली को हस्तान्तरित की जाती है।

Manoj
2
1/9

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/–
(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव–तृतीय

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

4. जिला कलक्टर, पाली।

5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

6. सचिव, नगर विकास न्यास, पाली।

7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक................ में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

8. अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद, पाली।

9. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव -तृतीय